न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास– श्री सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–17 / 2021

वादी	प्रतिवादी
1. श्री मोहनराम पुत्र स्व. श्री लिछमणराम उर्फ लच्छीराम 2. श्री जेठाराम पुत्र स्व. श्री लिछमणराम उर्फ लच्छीराम 3. श्री भगवानाराम पुत्र स्व. श्री लिछमणराम उर्फ लच्छीराम 4. श्री सुखाराम पुत्र स्व. श्री लिछमणराम उर्फ लच्छीराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मालगांव तहसील व जिला नागौर	1. श्री मोहनराम पुत्र कालूराम 2. चेनाराम पुत्र कालूराम 3. पेमाराम पुत्र भोमाराम जातियान सरगरा निवासीगण मूण्डवा 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश हेडा, भगवानाराम सारस्वत, मुकेश चौधरी, वकील वादीगण
2. श्री गोपाल गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 वकील

निर्णय

दिनांक :– .....

(1) वादीगण का वाद इस प्रकार है किः–

1. वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 322 रकबा 22–08 बीघा ग्राम मालगांव तहसील व जिला नागौर की राजस्व सीमा में स्थित है। जिसे ''विवादित कृषि भूमि'' के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
2. यह है कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता लिछमणराम व दादा ईशररामजी के कब्जे काश्त की भूमि चल रहती चली आयी है। उक्त भूमि के साबिका खसरा संख्या 204 मिन ग्राम मालगावं थे। सेटलमेंट से पूर्व से ही उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता व दादा के कब्जे काश्त की चली आ रही है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से ही वादीगण के पिता का कब्जा काश्त बतौर खातेदार था और जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब भूल से एवं सेटलमेंट अधिकारियों की लापरवाही से उक्त भूमि की खातेदारी पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या एक व दो के दादा व प्रतिवादी संख्या तीन के पिता भोमाराम पुत्र शिवदान के नाम दर्ज हो गयी, जो पर्चा लगान संवत 2020 में 'भोमला शिवदान सरगरा सा. देह हाल मूण्डवा' के नाम से जारी है, जबकि भोमाराम पुत्र शिवदान का इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। जिससे विधिअनुसार उपरोक्त भूमि की खातेदारी विधिअनुसार वादीगण के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिये थी।

3. वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि इस विवादित कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 322 के दक्षिणी तरफ स्थित रही है और यह भूमि व इसके दक्षिणी तरफ स्थित वादीगण के पुश्तैनी खेत मौके पर प्रारम्भ से ही एकल रहा है। और इस विवादित भूमि के दक्षिणी तरफ स्थित भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज हो गयी, परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से इस विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं हो सकी परन्तु मौके पर सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त वादीगण के पिता का रहता चला गया है। वादीगण के द्वारा अपनी समझ के समय से ही युवावस्था से इस खेत पर अपने पिता के साथ काश्त करना प्रारम्भ कर दिया तथा वर्तमान में इस खेत पर वादीगण का ही कब्जा काश्त रहता चला आया है।
4. वादीगण के पिता को विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करने का इरादा किया परन्तु गांव के मौजिज व्यक्तियों व कुछ मौतबिरों के द्वारा वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या एक व दो के दादा व प्रतिवादी संख्या तीन के पिता भोमारामजी के मध्य इकरार करवाया गया जिसमें भूमि की खातेदारी भोमारामजी के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण के पिता ने भोमारामजी को 2500 रुपये का भुगतान किया और इसके लिए 12.01.1973 को बेचाननामा भी भोमारामजी के द्वारा वादीगण के पिता के हक में निष्पादित करवाया गया। जो कार्यालय उप पंजीयक नागौर के समक्ष विधिवत रूप से पंजीबद्ध है, परन्तु विवादित भूमि की खातेदारी में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया। विवादित कृषि भूमि के खातेदार भोमाराम का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या एक से तीन को पक्षकार बनाया गया है।
5. वादीगण के पिता किसान और अनपढ़ व्यक्ति थे और उनके हक में बेचाननामा निष्पादित होने के बाद खातेदारी में उनका नाम दर्ज हो जाने के विश्वास से उनके द्वारा कोई वाद पेश नहीं किया जा सका और वादीगण के पिता का नाम भी जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया। इसी दौरान वादीगण के पिता का आज से करीब दो वर्ष पहले देहान्त भी हो गया। जिसके बाद वादीगण ने विवादित भूमि की खातेदरी में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या चार के कार्यालय में जाकर कार्यवाही करना चाहा परन्तु प्रतिवादी संख्या चार के द्वारा राजस्व वाद पेश करने का कहते हुए खातेदारी इन्द्राज करने में असमर्थता जाहिर की। जिससे वादीगण के द्वारा उक्त वाद घोषणा हक खातेदारी का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।
6. वाद हेतुक व वाद कारण विवादित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 322 ग्राम मालगांव सेटलमेंट से पहले से ही वादीगण के पिता के कब्जे काश्त की भूमि होने, मौके पर प्रारम्भ से ही कब्जा वादीगण के पिता व उनके बाद आज दिन तक वादीगण के पास होने, भूमि की खातेदारी गलत प्रकार से सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन के पूर्वज भोमारामजी के नाम दर्ज कर देने, भोमारामजी के द्वारा इन तथ्यों का सही मानकर बेचाननामा वादीगण के पिता के हक में दिनांक 12.01.1973 को निष्पादित व पंजीबद्ध करवा देने, जिसके बाद में भी भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं होने, वादीगण के पिता का देहान्त हो जाने एवं वादीगण के द्वारा भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही पर प्रतिवादी संख्या चार के द्वारा राजस्व वाद पेश करने का कहने से बमुकाम मालगांव व नागौर उत्पन्न हुआ है।

7. वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित फरमायी जावें।

विवादित खेताय वर्तमान खसरा संख्या 322 रकबा 22–08 बीघा ग्राम मालगांव तहसील व जिला नागौर को वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी का घोषित किया जावे।

स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की खसरा सं. 322 रकबा 22–08 बीघा ग्राम मालगांव तहसील व जिला नागौर में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलादांजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

(2) वादीगण वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जवाबदेही हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री दिनेश हेडा एवं भगवानाराम सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गोपाल गोदारा ने दिनांक 03.06.2022 को वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की ओर से अयुब खान व गोपाल गोदारा ने वकालतनाम व इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा, पर्चा लगान संख्या 165 ग्राम मालगांव खसरा नम्बर 322 संवत 2020 से 2039 की फोटोप्रति, बेचना दिनांक 12.01.1973 की फोटोप्रति एवं मौके की फोटेएं प्रस्तुत की गई है तथा बतौर शहादत मोहनराम, सुखराम, सवाईसिंह, मोहनराम पुत्र मल्लाराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। पक्षकारों ने आपसी राजीनामा दिनांक 30.01. 2023 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 01.02.2023 को तस्दीक किया गया है।

(3) वादीगण वकील द्वारा आवेदन पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण श्रीमती भंवरी उर्फ संतोष पुत्री कालुराम जाति सरगरा निवासी मूण्डवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर को पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर इन्हें प्रतिवादी संख्या 4 से 6 संयोजित किया गया।

(4) वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 7 की ओर जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार कर चाहा गया अनुतोष वादीगण को प्रदान कर दिया जाता है तो उतरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है, अपितु पूर्ण सहमति है।

(5) वादीगण मोहनराम, जेठाराम, भगवानाराम, सुखाराम पुत्रगण स्वर्गीय श्री लिछमणरामजी जाति जाट निवासीगण मालगांव तहसील व जिला नागौर तथा प्रतिवादीगण मोहनराम, चेनाराम पुत्रगण स्वर्गीय श्री कालूराम, श्रीमती शांति पुत्री श्री भोमाराम, श्रीमती सुगनी पुत्री श्री भोमाराम जाति सरगरा निवासीगण मूण्डवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर राजस्थान वादीगण तथा प्रतिवादीगण की ओर से राजनीमा पेश किया गया किः–

- वाद में उल्लेखित खेत हाल खसरा नम्बर 322 जिसके साबिक खसरा नम्बर 204 जिसका रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा ग्राम मालगांव तहसील नागौर में स्थित है।
- खेत खसरा नम्बर 322 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा मौजा मालगांव है जो खेत सेटलमेन्ट के पूर्व से वादीगण के पिता व दादा तथा वर्तमान में वादीगण आज तक के कब्जे काश्त में रहती चली आई है, लेकिन सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व लापरवाही से उक्त भूमि की खातेदारी का पर्चा लगान वादीगण के पिता के नाम जारी नहीं किया और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता भोमाराम के नाम दर्ज कर दिया, जबकि भोमारामजी का कभी भी इस भूमि पर कभी भी किसी प्रकार से कब्जा

काश्त उपयोग व उपभोग नहीं रहा है तथा हम प्रतिवादीगण का भी शुरू से आज तक कभी भी हमारा किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं रहा है।

- सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व लापरवाही से पर्चा लगान व खतौनी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के दादा व 3 के पिताजी स्वर्गीय भोमारामजी के नाम होने की वजह से स्वर्गीय भोमारामजी ने दिनांक 12.01.1973 को प्रतिफल की राशि 2500–/ रुपये अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपये लेकर वादीगण के पिता स्वर्गीय लिछमणरामजी के नाम विक्रय पत्र लिखाकर उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीयन करवा दिया, इस खेत में वादीगण की अलग–अलग पक्की ढाणियां बनी हुई हैं, जिनमें वादीगण सपरिवार निवास कर रहे हैं।
- विक्रय पत्र के अनुसार म्यूटेशन नहीं भराये जाने के कारण खतौनी में इन्द्राज भोमारामजी नाम ही चलता रहा तथा भोमाराम जी के देहान्त के उनके वारिसान हम प्रतिवादीगण के नाम रहता चला आया है जबकि इस खेत पर हमारा कोई हक अधिकार कभी भी नहीं रहा है।
- दिनांक 12.01.1973 को स्वर्गीय भोमाराम ने जो विक्रय कराया है, उस विक्रय पत्र से हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है तथा उस विक्रय में हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई उजर एतराज नहीं है।
- इस खेत की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित किय जाने में हम प्रतिवादीगण सहमत है। हम प्रतिवादीगण वादीगण के नाम घोषित की जाने वाली खातेदारी में कभी भी कोई उजर एतराज नहीं कर सकेंगे। हमारी आल औलाद भी इस खेत के बारे में कभी भी उजर एतराज नहीं कर सकेगी तथा किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नहीं लगा सकेगी।
- माफिक राजीनामा खेत खसरा नम्बर 327 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा ग्राम मालगांव तहसील नागौर को वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जावे तथा हम प्रतिवादीगण के खिलाफ तथा हम वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वयं करे तथा न किसी अन्य से करावे।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र, प्रतिवादीगण का जवाब, पक्षकारान का आपसी राजीनामा व बेचान दस्तावेज दिनांक 12.01.1973 का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस शुरू करते हुए अपने दावे में लिए गए बिन्दुओं को दोहराया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 का इकबाली जवाब दावा व पक्षकारान के मध्य हुए आपसी राजीनामा के मुताफिक दावा डिक्री चाहा गया है। वकील वादीगण ने जमाबंदी संवत 2077 में अंकन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 व 7 के नाम से खातेदारी अंकित है। इस जमाबंदी के अनुसार इनकी जाति सरगरा बताई गई है, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति में आती है। इस भूमि के वादीगण के पिता द्वारा बेचान दिनांक 12.01.1973 को प्रतिवादीगण के पिता भोमाराम पुत्र शिवदान कौम राजपूत राठौड़ नक सरगरा

साकिन मालगांव से क्रय की गई है। उक्त जाति न तो पूर्व में अनुसूचित जाति की रही है तथा न ही वर्तमान में अनुसूचित जाति में आती है। यदि सरगरा जाति को वर्तमान रिकॉर्ड की स्थिति में अनुसूचित जाति में माना भी जाता है तो बेचान की दिनांक 12.01.1973 को सरगरा जाति अनुसूचित जाति में नहीं थी तथा यह जाति वर्ष 1978 में अनुसूचित जाति में सम्मिलित की गई है तथा इसके समर्थन में वर्ष 1978 में प्रभावी अनुसूचित जाति की सूची की ओर हमारा ध्यान दिलाया। वकील वादीगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि जब दोनों पक्ष आपसी राजाबंदी से दावा डिक्री करवाना चाहते हैं तो इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(7) **उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद उचित आधारों पर उचित प्रतीत होता है तथा राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री की जाती हैः–**

अ. कि खसरा संख्या 322 रकबा 22–08 बीघा वाके मौजा मालगांव की भूमि को वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की घोषित की जाती है।

ब. कि माफिक रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी के वादीगण के नाम अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी की जावे।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर